उत्तर प्रदेश परिवहन निगम आगरा क्षेत्र आगरा।

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आगरा क्षेत्र के "बी" श्रेणी के बस स्टेशन पर खाली पड़े एवं खाली होने वाले फूड़ प्लाजा की नीलामी निविदा द्वारा दिनांकः 09.11.2017 को कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम 96ग्वालियर रोड़ आगरा पर समय 15:00 बजे निविदा दाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

1. निविदा कय करने की तिथिः 31.10.2017 से 08.11.2017
2. निविदा जमा करने की तिथि. 09.11.2017 समय 14:00 बजे तक
3. ठेका अवधिः 03 वर्ष

क0सं0	बस स्टेशन का नाम	ठेके का नाम	आरक्षित मूल्य
1.	भूतेश्वर मथुरा	ए0सी0 फूडप्लाजा	61.30 वर्ग मी0X450= 27587 रू0

निविदा दाता की निविदा फार्म के साथ ऑफर की गयी धनराशि का तीन माह के समतुल्य राशि का बैंक भी धरोहर राशि के रूप में जो क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0 परिवहन निगम के पक्ष में देय हो संलग्न करना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि के बिना उसकी निविदा अमान्य होगी तथा समिति द्वारा उपयुक्त पायी निविदा सापेक्ष निविदा दाता के डिफाल्ट होने पर यह जब्त कर ली जायेगी। निविदा फार्म रू0 200.00(दो सौ रूपये) एवं जी0एस0टी0 18 प्रतिशत के साथ नगद भुगतान पर दिनांक 08.11.2017 तक कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, 96, ग्वालियर रोड, आगरा से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया गया जा सकता है तथा ठेके से सम्बन्धित शर्ते किसी भी कार्य दिवस में क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय में देखी जा सकती है। किसी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को सुरक्षित रहेगा। स्वीकृत निविदा दर पर निर्धारित जी0एस0टी0 ठेकेदार को मासिक किस्त के साथ जमा करना होगा। चाल-चलन का सत्यापन सक्षम पुलिस अधिकारियों से करा कर तथा अपनी रंगीन फोटो(पासपोर्ट साइज की) किसी भी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करा कर निविदा फार्म के साथ संलग्न किया जाना होगा। अन्य ठेको के निविदा प्रपत्र के साथ क्षेत्रीय स्तर के स्टाल एवं दुकानो के आवंटन रूपये 10000.00 अरनेस्ट मनी जमा करानी अनिवार्य होगी। मुख्यालय लखनऊ के पत्र संख्याः 54एफए/12-177एफए/01- दिनांक 09.01.2012, पत्र संख्याः 1200एफए/12-177एफए/01 दिनांक 11.05.2012, पत्र संख्याः 1201एफए /12-177 एफए/01 दिनांक 11.05.2012, पत्र संख्याः 1199एफए/12-177एफए/01/07पार्किंग/12 दिनांक 11.05.2012, एवं पत्र संख्याः 2985रोपी/16-39रोपी/जन/17 ई-टेण्डर दिनांक 18.10.2017 के अनुपालन में पी0पी0पी0 योजना को दृष्टिगत रखते हुये फूड़ प्लाजा को 03 माह का पूर्व नोटिस देते हुए। किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। फूड़ प्लाजा स्वीकृत होने पर निर्धारित स्थान पर संचालित करना होगा और ठेकेदार द्वारा फूड़ प्लाजा से सम्बन्धित खाद्य पदार्थ/पेय पदार्थ का ही विकय किया जायेगा। अधिकतम निविदा राशि को स्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार समिति में निहित होगा। ऐसे ठेकेदार/फर्म जो निगम के ठेका किराया जमा न कर रहे हो या जमा न किया गया हो वह निविदा हेतु अयोग्य माने जायेगें। पूर्व में जिस ठेकेदार का परिवहन निगम के साथ किसी ठेके के सम्बन्ध में विवाद/मुकदमा चल रहा था अथवा वर्तमान में चल रहा है वह निविदा प्रकिया में सम्मिलित नहीं हो सकेगा तथा वह स्वयं अथवा अपने नोमिनी, भाई परिवार के सदस्य एवं अन्य रिस्तेदार के माध्यम से निविदा प्रक्रिया में भाग लेने सक्षम नहीं होगा तथा अन्य शर्तें निम्नवत रहेंगी।

1. परिवहन निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर ही ए0सी0 फूड़ प्लाजा संचालित करना होगा। यदि किन्हीं कारणों से सक्षम अधिकारी द्वारा फूड़ प्लाजा के संचालन का स्थान परिवर्तन किया जाता है तो परिवर्तित स्थान पर ही फूड़ प्लाजा संचालित करना होगा।
2. ए0सी0 फूड़ प्लाजा बस स्टेशन पर निर्मित भवन जिसका क्षेत्रफल **15X42.75** वर्ग फुट अर्थात **61.30** वर्गमीटर में संचालित किया जायेगा।

Downloaded from www.upsrtc.com

3. स्टॉल संचालक को एक परिवाद पुस्तिका रखनी आवश्यक होगी जिसका निरीक्षण प्रत्येक सप्ताह फूड़ प्लाजा संचालक द्वारा स्वयं स्टेशन प्रभारी/स0क्षे0प्र0 को कराना होगा।
4. प्राप्त परिवाद/निरीक्षण रिपोर्ट पर सक्षम अधिकारी के स्तर पर जॉच की जायेगी। जॉच में दोषी पाये जाने पर स्टॉल संचालक के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी फिर भी सुधार नहीं किया गया तो सक्षम अधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से अनुबन्ध समाप्ति का निर्णय लिया जा सकता है।
5. ए0सी0 फूड़ प्लाजा से सम्बन्धित खाद्य पदार्थों में मिलावट अथवा नकली ब्राण्ड़ के खाद्य पदार्थ बेचे जाने अथवा निगम परिसर में किसी संघेय अपराध करने/लिप्त पाये जाने पर एफआईआर दर्ज कराते हुए, अनुबन्ध समाप्त कर ए0सी0 फूड़ प्लाजा संचालक को ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।
6. ए0सी0 फूड़ प्लाजा संचालक को 06 माह में एक बार उपर्युक्त स्तर की रंगाई पुताई अपने खर्चे पर करानी होगी।
7. ए0सी0फूड़ प्लाजा पर कोयले, लकड़ी, बुरादा आदि का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
8. ए0सी0फूड़ प्लाजा किसी अन्य व्यक्ति को सबलेट नहीं होगा।
9. ए0सी0फूड़ प्लाजा पर अवैध सामान की विक्री के कारण यदि कोई क्षति या अन्य कठिनाई आती है या किसी व्यक्ति द्वारा कोई वाद/क्षतिपूर्ति इत्यादि की कार्यवाही की जाती है तो उसका पूर्ण दायित्व ए0सी0फूड़ प्लाजा संचालक का होगा।
10. ए0सी0फूड़ प्लाजा अनुबन्ध की तिथि से अगले वर्ष के लिये लाइसेंस शुल्क में 10प्रतिशत की वृद्धि स्वयंमेव की जाती रहेगी।
11. ए0सी0फूड़ प्लाजा संचालक द्वारा हाउस टैक्स जी0एस0टी0 कर, वाटर टैक्स कर, बिजली व्यय तथा आयकर जो केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/नगर निगम/स्थानीय निकाय द्वारा लगाये जायेगें वहन करने होंगे।
12. फूड़ प्लाजा का अनुबन्ध 03 वर्ष की लाइसेंस फीस पर 04 प्रतिशत की दर से स्टॉम्प शुल्क चार्ज किया जायेगा तथा अन्य शर्तें अनुबन्ध के अनुसार होंगी।
13. ए0सी0फूड़ प्लाजा निर्मित भवन जिसका क्षेत्रीफल **15X42.75** वर्ग फुट अर्थात **61.30** वर्गमीटर है, के अन्दर संचालित किया जायेगा, इसके बाहर कोई अतिक्रमण नहीं करेगा।
14. ए0सी0फूड़ प्लाजा पर संचालक द्वारा ए0सी0 का संचालन करना अनिवार्य है।

क्षेत्रीय प्रबन्धक, आगरा।

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम,आगरा।

पत्रसं0–जी–2/ठेका/नीलामी/17– 7259 दिनांकः 30-10-17

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. जिलाधिकारी महोदय, मथुरा।
2. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन) महोदय, परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
3. प्रधान प्रबन्धक(मार्केटिंग)/(एम0आई0एस0) महोदय, परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि नीलामी की सूचना परिवहन निगम की बेवसाईड पर उपलोड कराने का कष्ट करें।
4. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम।
5. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम आगरा क्षेत्र।
6. समस्त डिपो प्रभारी, उ0प्र0 परिवहन निगम आगरा क्षेत्र।
7. समस्त नोटिस बोर्ड, आगरा क्षेत्र।
8. समस्त ठेकेदार, आगरा क्षेत्र।

क्षेत्रीय प्रबन्धक, आगरा।

Downloaded from www.upsrtc.com

राज. ...त्रेत अधिकारी द्वारा प्रमाणित निविदा दाता का पासपोर्ट साइज का फोटो

परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

उ0प्र0रा0स0प0नि0
क्रम सं0 ....

मूल्य 200.00 रुपये
रसीद संख्या
....

निविदा प्रपत्र

निविदा जारी करने का दिनांक : ------------------ निविदा निर्गत करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर :..............................

1. निविदा दाता का नाम : ....
2. पिता का नाम : ....
3. स्थाई पता : ....
4. बस स्टेशन, क्षेत्र एवं जिस स्टाल हेतु निविदा दिया गया है, का विवरण : ....
5. स्टाल संचालन की अवधि : ....
6. प्रस्तावित प्रतिमाह लाइसेंस शुल्क (शब्दों में) ....
   (अंकों में) ....
7. बैंक ड्राफ्ट का पूर्ण विवरण: ....

   उक्त दी गयी सूचनायें सही है एवं यदि उसमें कोई सूचना गलत साबित होती है तो इस हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहूँगा।

टेण्डरदाता के हस्ताक्ष

नोटः— एक निविदा प्रपत्र केवल एक ही स्टाल के लिये मान्य होगा। यदि निविदा प्रस्ताव स्वीकृ नहीं होता है तो जमा टेण्डरमनी का बैंक ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा। निविदा द्वारा दिये ग प्रस्ताव को स्वीकृत करने का एक मात्र अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा एवं उनका निर्णय अन्ति होगा।

निविदा प्रपत्र नियमावली सहित, प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर जमा करना होगा।

Downloaded from www.upsrtc.com

मुख्य शर्तें

नीलामी की मुख्य शर्तें निम्नवत हैं।-

1. जिन स्टाल संचालकों के नाम परिवहन निगम की काली सूची में हैं, वे निविदा डालने के अर्ह नहीं होंगे और उनके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. प्रत्येक निविदा के साथ एक माह हेतु प्रस्तावित राशि के समतुल्य धनराशि का बैंक ड्राफ्ट धरोहर धनराशि के रूप में निविदा के साथ, जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0परिवहन निगम के नाम बना हो देना होगा। निविदा प्रपत्र में बैंक ड्राफ्ट का विवरण देते हुये उसको संलग्न करते हुये टेण्डर सील बन्द लिफाफे में प्रेषित किये जायेंगे।
3. निविदादाता को अपना नाम, पिता का नाम, निवास स्थान व चाल चलन का सत्यापन सक्षम पुलिस अधिकारी से कराकर तथा अपनी फोटो (पास पोर्ट साइज की) किसी भी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराकर निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।
4. खुली बोली में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को भी अपना नाम, पिता का नाम, निवास स्थान व चाल चलन का सत्यापन सक्षम पुलिस अधिकारियों से कराकर तथा अपनी फोटो (पास पोर्ट साइज की) किसी भी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराकर खुली बोली से पूर्व प्रस्तुत किया जाना होगा।
5. जिस स्टाल एवं स्थान के लिये निविदा दिया जा रहा है, उस स्टाल का नाम व स्थान का नाम लिफाफे के ऊपर अंकित करना होगा।
6. अपूर्ण निविदा प्रपत्र विचार योग्य नहीं होगा।
7. परिवहन निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर ही स्टाल संचालित करना होगा, यदि किन्हीं कारणों से सक्षम अधिकारी द्वारा स्टाल के संचालन का स्थान परिवर्तन किया जाता है, तो परिवर्तित स्थान पर ही स्टाल संचालित करना होगा।
8. खुली बोली में सम्मिलित होने के लिये इच्छुक व्यक्तियों को जनपदीय एवं डिपो मुख्यालय के बस स्टेशनों हेतु प्रत्येक स्टाल के लिए 10,000/-रू0 तथा इससे भिन्न बस स्टेशनों हेतु 2,000/-रू0 टोकन मनी जमा करना अनिवार्य होगा।
9. निविदा अथवा खुली बोली से प्राप्त सर्वोच्च दर के प्रस्ताव की तीन गुना धनराशि टेण्डर मनी/टोकन मनी को समायोजित करते हुये प्रतिभूति के रूप में नीलामी की तिथि को ही निगम कोष में जमा कराना अनिवार्य होगा। प्रतिभूति राशि न जमा करने पर टेण्डर मनी/टोकेन मनी जब्त कर ली जायेगी।
10. स्टालस की नीलामी का निस्तारण निविदा एवं खुली नीलामी में प्राप्त उच्चतम दरों के अनुसार किया जायेगा। प्राप्त निविदा, खुली बोली के तुरन्त बाद सक्षम अधिकारी द्वारा उपस्थित निविदा दाताओं/बोली दाताओं के समक्ष खोले जायेंगे।

Downloaded from www.upsrtc.com